हिमाचल प्रदेश सरकार
भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग
*****

संख्याः एल0सी0डी0–एफ0(6)–3/2019–पार्ट–1–लूज तारीख शिमला–2, 03फरवरी, 2022

अधिसूचना

शिमला में साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को प्रोत्साहन देन के लिए गेयटी थियेटर, शिमला के सम्मेलन हॉल के उपयोग हेतु **अनुलग्नक–''क''** के अनुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है।

(राकेश कंवर)
सचिव (भाषा एवं संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः यथोपरि, तारीख शिमला–2, 03 फरवरी, 2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित हैः–

1. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 को व्यापक प्रचार के लिए।
3. निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9
4. सचिव, हिमाचल कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी, शिमला–01
5. संग्रहालयध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश संग्रहालय शिमला–04
6. प्रबंधक, गेयटी थियेटर शिमला–01
7. समस्त जिला भाषा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
8. सभी सूचीबद्व संस्थाओं को ।
9. संरक्षण नस्ति।

सचिव (भाषा एवं संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

*****

अनुलग्नक-क'

गेयटी थियेटर, शिमला में सम्मेलन हॉल के उपयोग हेतु दिशा निर्देश

गेयटी थियेटर परिसर, दी माल शिमला में एक सम्मेलन कक्ष है, जिसका उपयोग साहित्यिक सम्मेलनों/सेमीनारों, चर्चाओं के आयोजन के लिए किया जाता है। वर्तमान में गेयटी थियेटर सोसायटी द्वारा सेमिनार आयोजित करने वाले संगठनों से ₹ 8,000/– प्रति दिन की दर पर शुल्क लिया जा रहा है परन्तु यह देखा जा रहा है कि इस सुविधा का बेहतर उपयोग नहीं हो रहा है। पिछले दस वर्षों के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष के दौरान हॉल का उपयोग किए जाने वाले दिनों की औसत संख्या मात्र 29 है, जिसमें भी अधिकतर आयोजन विभाग/अकादमी द्वारा ही किए गए हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत शिमला में साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा साहित्यिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने व हॉल की सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करने के दृष्टिगत निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. सूचीबद्ध संस्थाओं को साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे कि चर्चा/सेमिनार/किताब–पाठ/किताब विमोचन/कहानी पाठ/कविता पाठ/लेखक से मिलिये तथा ऐसे अन्य आयोजनो के लिए प्रति संस्था को वर्ष में बारह दिनों के लिए संगोष्ठी हॉल निःशुल्क दिया जाएगा।
2. संस्थाओं को समय–समय सूचीबद्ध करने का अधिकार पर निदेशक, भाषा एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश को होगा।
3. संस्थाओं को उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूचना उद्देश्य/विवरण सहित दो सप्ताह पूर्व प्रबन्धक, गेयटी थियेटर सोसाईटी को प्रस्तुत करना होगा ताकि उन्हें हॉल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा संस्था समय रहते आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की रूप–रेखा तैयार कर आवश्यक व्यवस्था कर सके। आयोजन के एक माह के भीतर सम्बन्धित संस्था आयोजन के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट भी GDS को देगी।

4. हॉल 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि हॉल की उपलब्धता की तिथियों में टकराव होगा तो सम्बन्धित संस्थायें परस्पर तालमेल से तिथियां तय करेंगी। साहित्यिक संस्थाओं को अपने कार्यक्रम हर महीने के किसी निश्चित दिनांक/सप्ताह के किसी निश्चित दिन आयोजित करने की स्वतंत्रता होगी। उन्हें इस बारे में गेयटी ड्रामैटिक सोसायटी को सूचित करना होगा। परन्तु यदि उक्त दिन कोई विभागीय कार्यक्रम प्रस्तावित होगा तो उस दशा में संस्था का कार्यक्रम रद्द करना होगा अथवा उसे किसी अन्य दिन के लिए प्रस्तावित करना होगा।

5. हॉल उन दिनों उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा जिन दिनों भाषा एवं संस्कृति विभाग/अकादमी/गेयटी ड्रामेटिक सोसाईटी द्वारा विशेष कार्यक्रम की योजना बनाई गई हो/कार्यक्रम तय किया गया हो।

6. विभाग/अकादमी/गेयटी ड्रामेटिक सोसाईटी को सेमीनार हॉल के प्रयोग हेतु प्राथमिकता रहेगी और संस्थाओं को कार्यक्रमों की योजना इस तरह बनानी होगी कि विभागीय गतिविधियों के साथ तिथियों का टकराव न हो।

7. भाषा एवं संस्कृति विभाग/अकादमी तथा अन्य सरकारी संस्थाओं/विभागों/ अन्य निजि सस्थाओं को सेमीनार हॉल मुफ्त में उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। उन्हें सेमीनार हॉल के लिए निर्धारित राशि की अदायगी करनी होगी ताकि गेयटी ड्रामेटिक सोसाईटी को सेमीनार हॉल से आय प्राप्त होती रहे तथा गेयटी का रख–रखाव /मुरम्मत इत्यादि भी सुनिश्चित किया जा सके।

8. इन दिशा–निर्देशों का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक संस्थायें यह सुविधा प्राप्त कर सके।

9. सूचीबद्व संस्थाएं हॉल को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उपयोग में लायेंगी ताकि उसे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। यदि हॉल को किसी भी प्रकार का नुकसान होगा तो सम्बन्धित संस्था को उस पर आने वाले खर्च को वहन करना होगा तथा संस्था को गेयटी ड्रामेटिक सोसायटी द्वारा निर्धारित जुर्माने की अदायगी भी करनी होगी। किसी भी संस्था द्वारा लापरवाही अथवा जानबूझ कर बार–बार क्षति करने की स्थिति में उसे तीन वर्ष या उससे अधिक समय के लिए वर्ज्य सूची (blacklist) में शामिल किया जायेगा

जैसा भी गेयटी ड्रामेटिक सोसाईटी द्वारा तय किया जाए। सभी संस्थायें GDS के नियमों (क्या करें/क्या न करें) का पालन करने के लिए बाध्य होंगी।

10. हॉल की सुविधा का लाभ रविवार एवं छुटिटयों सहित किसी भी दिन 11–00 बजे प्रातः से 6–00 बजे सायं तक किया जा सकेगा।
11. भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रथमतः सूचीबद्ध संस्थाओं की सूची संलग्न है। इसके पश्चात् संस्थाओं से प्राप्त निवेदनों के आधार पर अद्यतन सूची तैयार की जाएगी।
12. कोई भी सूचीबद्ध संस्था यदि बिना किसी ठोस कारण के वर्ष में कोई भी गतिविधियां आयोजित नहीं करवाती तो ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को आगामी दो वर्षों तक सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।
13. भाषा एवं संस्कृति विभाग का सूचीबद्धता के लिए अधिकार सुरक्षित रहेगा। संस्थाओं का सूचीकरण संस्था के पंजीकरण की अवधि, पूर्व में संस्था द्वारा आयोजित गतिविधियों तथा संस्था के सदस्यों की संख्या इत्यादि के आधार पर किया जायेगा। सूचिबद्व संस्थाओं का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाएगा।
14. यदि कोई सूचीबद्व संस्था किसी कार्यक्रम हेतु विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है तो उक्त कार्यक्रम के आयोजन के लिए उसे गेयटी ड्रामेटिक सोसायटी को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।
15. उपरोक्त दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे तथा दिसम्बर 2022 तक लागू रहेंगे।

(राकेश कंवर)
सचिव (भाषा एवं संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा सूचीवद्ध सक्रिय संस्थाएँ :–

क्र०सं०	सक्रिय साहित्यिक संस्था का नाम	संपर्क
01	सर्जक साहित्यिक संस्था	श्री मोहन साहिल,शाली बाजार ठियोग जिला शिमला
02	हिमालय, साहित्य, संस्कृति एवं पर्यावरण मंच	श्री एस0 आर0 हरनोट, साहित्य कुंज, मारलब्रो हाउस, धरातल मंजिल, नजदीक हिमाचल सचिवालय, छोटा शिमला
03	हिमाचल प्रदेश क्रिएटिव राईटर फ़ोरम	डॉ0 डी0 के0 गुप्ता, आश्रय, अप्पर चौक खलीनी शिमला
04	हिमवाणी संस्था	राजेन्द्र कुमार, आयुषमान कॉटेज लोअर पथाधाटी शिमला
05	किंकली चेरिटेबल ट्रस्ट शिमला	श्रीमती वंदना भागड़ा ,सैट नं0 1 लेनु भवन, जाखू शिमला
06	हिम ग्रामीण विकास संस्था	रामपुर बुशैहर जिला शिमला
07	इन्सटीच्यूट ऑफ पोलिसी रिसर्च एण्ड एनालिसीसिस	प्रो0आर0डी0 शर्मा सुमेर रिजॉर्ट संजोली शिमला
08	संकल्प रंग मण्डल शिमला	अध्यक्ष, श्री केदार ठाकुर, गांव चलायन, डा० मंझोली, तह० कुपवी, जिला शिमला
09	नाट्य अनुकृति	श्री संजय सूद, पंचवटी बिलो सकुर्लर रोड़, लक्कड़ बाजार शिमला।
10	रिन्चेन ज़ांगपो कल्चरल एण्ड लिटरेरी सोसाईटी, लाहौल	श्री रिंगचिन हायारपा, कुल्लू/लाहौल।
11	स्वांगला एरटोग सोसाईटी, कुल्लू	श्री सतीश लोरपा, कुल्लू/लाहौल।
12	संवाद, कुल्लू	डा0 निरंजन देव शर्मा, भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू।
13	बहस नाट्य कला मंच कुल्लू	डा0 उरसेम लता, राजकीय महाविद्यालय कुल्लू।
14	हिमाचल संस्कृतिक शोध संस्थान एवं नाट्य रंग मन्दिर मण्डी	डा0 सीमा शर्मा, मण्डी।
15	एक्टिव मोनाल कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू	श्री केहर सिंह ठाकुर, कुल्लू।
16	द कलैक्टिव शिमला	श्री भारत शर्मा, शिमला
17	मुनीर कल्चरल फोरम	श्री प्रवेश जस्सल, चक्कर शिमला।

Annexure – 'A'

Guidelines regarding use of Conference Hall in the Gaiety Theatre, Shimla

The Gaiety Theatre complex, the Mall, Shimla has a Conference Hall, which is being used to hold literary conference/ seminars/discussions. At present, Gaiety Theatre Society is charging Rs. 8,000/- per day from the literary organizations holding such seminars. However, it is being observed that the facility is not being optimally utilized and as per data for the last ten years, the average number of days for which the Hall has been used during a year have only been 29. Most of these activities have been done by the Department of Language & Culture/ Himachal Academy of Art, Culture & Language (HAACL).

In order to encourage literary organizations to use this facility more often and to revive the literary activities in Shimla, following guidelines are hereby issued:-

1. The Seminar Hall will henceforth be given free of cost to the empanelled organizations for twelve days in a year for each organization carrying literary and cultural activities (i.e. discussions / seminars / book reading / book release/ story telling / poetry sessions / meet the author events and other such events).
2. The empanelment of such organizations will be done by the Director, Language & Culture Department, H.P. as and when needed.
3. Such organizations will have to intimate with purpose/detail of the programmes/ activities to be done by them two weeks in advance so that availability of the Hall could be ensured and they could plan their programme accordingly well in advance. The organizations will also submit a short report of the event within a month of holding the event.
4. The Hall will be made available on first come first serve basis. In case of any clash of dates, the concerned organizations will have to mutually adjust the dates. The organizations will have the liberty to hold their events on a fixed date every month or on a fixed day of the week. They will have to convey such dates to the GDS. However, in case a Departmental event is planned for that day, then the literary organization's event will stand cancelled and it will have to be scheduled for some other day.

5. The Hall will not be available on days on which special events are planned by the Department of Language & Culture/ HAACL/ Gaiety Dramatic Society (GDS).
6. The Department/ HAACL/ GDS will continue to have the first right of use of the Seminar Hall and the literary organizations will have to plan their events in such a way that there is no clash of dates with departmental activities.
7. The Department of Language and Culture/ HAACL and all other Government organizations/ Departments / other private organizations will not be given the Seminar Hall free of charge and will have to pay the usual charges so that GDS continues to get income from the Seminar Hall and is able to ensure its maintenance.
8. Wide publicity of these guidelines will be ensured so that more and more organizations avail the facility.
9. The empanelled organizations will use the facility responsibly and ensure that no damage to the facility occurs in any way. In case any damage to the facility is observed, the organization will have to make do the damage at its own cost and may also have to pay penalty as may be decided by GDS. In case of persistent default by any organization, it will be blacklisted for a period of three years or more as may be decided by GDS. The organizations shall abide by the instructions of the GDS regarding do's and don'ts of usage.
10. The facility can be used on any day including Sundays and holidays between 11 : 00 A.M. to 06:00 P.M.
11. The first list of organizations empanelled by the Department of Language & Culture is enclosed. The list will be subsequently updated depending on any requests received for empanelment.
12. Any empanelled organization which does not carry out any activity for a period of one year (Calendar Year) without any valid reason, will be removed from the panel and will not be empanelled for a subsequent period of two years.
13. The Department of Language & Culture reserves the right for empanelment. The empanelment will be done keeping in view the age of the organization,

literary activities done by it in the past, number of members etc. The empanelment will be reviewed annually.

14. In case any empanelled organizations receives financial support from the Department of Language & Culture for any particular event planned in the Gaiety Theatre Seminar Hall, such organization(s) will have to pay normal hiring charges to Gaiety Dramatic society (GDS).

15. These Guidelines will come into force with immediate effect and will remain in force till December, 2022.

(Rakesh Kanwar)
Secretary (LAC) to the
Government of Himachal Pradesh

भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा सूचीवद्ध सक्रिय संस्थाएँ :–

क्र०सं०	सक्रिय साहित्यिक संस्था का नाम	संपर्क
01	सर्जक साहित्यिक संस्था	श्री मोहन साहिल,शाली बाजार ठियोग जिला शिमला
02	हिमालय, साहित्य, संस्कृति एवं पर्यावरण मंच	श्री एस0 आर0 हरनोट, साहित्य कुंज, मारलब्रो हाउस, धरातल मंजिल, नजदीक हिमाचल सचिवालय, छोटा शिमला
03	हिमाचल प्रदेश क्रिएटिव राईटर फ़ोरम	डॉ0 डी0 के0 गुप्ता, आश्रय, अप्पर चौक खलीनी शिमला
04	हिमवाणी संस्था	राजेन्द्र कुमार, आयुषमान कॉटेज लोअर पंथाघाटी शिमला
05	किंकली चेरिटेबल ट्रस्ट शिमला	श्रीमती वंदना भागड़ा ,सैट नं0 1 लेनु भवन, जाखू शिमला
06	हिम ग्रामीण विकास संस्था	रामपुर बुशैहर जिला शिमला
07	इन्सटीच्यूट ऑफ पोलिसी रिसर्च एण्ड एनालिसीसिस	प्रो0आर0डी0 शर्मा सुमेर रिजॉर्ट संजोली शिमला
08	संकल्प रंग मण्डल शिमला	अध्यक्ष, श्री केदार ठाकुर, गांव चलायन, डा० मंझोली, तह० कुपवी, जिला शिमला
09	नाट्य अनुकृति	श्री संजय सूद, पंचवटी बिलो सकुर्लर रोड़, लक्कड़ बाजार शिमला।
10	रिन्चेन ज़ांगपो कल्चरल एण्ड लिटरेरी सोसाईटी, लाहौल	श्री रिंग़चिन हायारपा, कुल्लू/लाहौल।
11	स्वांगला एरटोग सोसाईटी, कुल्लू	श्री सतीश लोरपा, कुल्लू/लाहौल।
12	संवाद, कुल्लू	डा0 निरंजन देव शर्मा, भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू।
13	बहस नाट्य कला मंच कुल्लू	डा0 उरसेम लता, राजकीय महाविद्यालय कुल्लू।
14	हिमाचल संस्कृतिक शोध संस्थान एवं नाट्य रंग मन्दिर मण्डी	डा0 सीमा शर्मा, मण्डी।
15	एक्टिव मोनाल कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू	श्री केहर सिंह ठाकुर, कुल्लू।
16	द कलैक्टिव शिमला	श्री भारत शर्मा, शिमला
17	मुनीर कल्चरल फोरम	श्री प्रवेश जस्सल, चक्कर शिमला।